न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2015 G.C.M.S. No. 2015/00173 दर्ज दिनांक : 17.06.2015

अपीलार्थिगण:

01. करनाराम पुत्र तगाजी, जाति पुरोहित, निवासी बागरा, तहसील व जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

01. मोहनलाल पुत्र शंकरलाल
02. शकून पत्नी मोहनलाल
03. शीतल पुत्र मोहनलाल तमाम जातियान जैन, निवासीगण बागरा, तहसील व जिला जालोर
04. देवीचन्द पुत्र जवारा
05. भोपाराम पुत्र जवारा
06. देशा पुत्र मादा
07. रामा पुत्र मादा, तमाम जातियान पुरोहित, निवासी बागरा, तहसील व जिला जालोर
08. तहसीलदार जालोर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 77/2010 बअनवान मोहनलाल बनाम करणाराम में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.05.2015 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963</u>

पैरोकार:–

1. श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री प्रभु सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 25.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 77/2010 बअनवान मोहनलाल बनाम करणाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 08 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दावा बाबत् खातेदारी बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 व अपीलांट के नाम सामलाती आराजी ग्राम बागरा के खसरा संख्या 2867 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बैरा, 2868 रकबा 0.07 हैक्टर, गैर मुमकिन सड़ा, खसरा संख्या 2869 रकबा 0.03 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता 2870 रकबा 0.57 हैक्टर चाही प्रथम, 2871 रकबा 2.42 हैक्टर चाही प्रथम, 2873 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

0.54 हैक्टर चाही प्रथम व 2874 रकबा 0.59 हैक्टर चाही प्रथम कुल खसरा संख्या 08 कुल रकबा 4.81 हैक्टर जिस में से वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के हिस्से में 1/2 हिस्सा आता है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वाद पेश किया था, उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 09.06.2014 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। उक्त काउन्टर क्लेम का जवाब रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा दिनांक 09.06.2014 से आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया था। राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्रकरणो का निस्तारण किये जाने हेतु आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजस्व कैम्प गावो में लगवाकर पक्षकारान के बीच राजीनामा करवा कर ऐसे प्रकरणो का निस्तारण किया जा रहा है। जिसमे साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता न्यूनतम रहती है। वादपत्र के विरूद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत होने पर उसका निस्तारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के विवाद्यक तय करके पक्षकारान के साक्ष्य सुनवाई करके मामले का निस्तारण करना, नैर्सगिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर जरूरी है, परन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन बातो को नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह हर सूरत में निरस्त योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है क्योंकि लोक अदालत में उन्ही मामलो का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकरान मामले के निस्तारण हेतु सहमत हो। उक्त प्रकरण में अपीलांट किस प्रकार की सहमति नहीं ली गयी थी। दिनांक 27.05.2015 को पारित निर्णय में अपीलांट की किसी प्रकार की सहममि नहीं थी न ही राजीनामा का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिना सहमति के जो निर्णय पारित किया गया है वह हर सूरत में निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निरस्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। आदेशिका दिनांक 27.05.2015 के अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बागरा में पेश हुई। लोक अदालत कैम्प बागरा में दिनांक 27.05.2018 को निर्णित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. यह स्वीकृत विधिक स्थिति है कि लोक अदालत में राजीनामा आदि से वादपत्रो का निर्णयन केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब सभी पक्षकारान उपस्थित होकर राजीनामा निष्पादित करे तथा पीठासीन अधिकारी ऐसे राजीनामे को तस्दीक करे एवं राजीनामा विधि अनुरूप निष्पादित व स्वीकार्य हो। हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जवाबदावा मय प्रतिदावा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऐसी स्थिति में न्यायायल के लिए यह आज्ञापक है कि वह वादपत्र व जवाबदावा एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णित करे, लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया। प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं करने के बावजुद विभाजन के वादपत्र में विवाद्यक कायम किए बिना एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का अवसर दिए बिना तथा प्राथमिक डिक्री जारी किए बिना एवं तहसीलदार से विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किए बिना लोक अदालत कैम्प कोर्ट में विचाराधीन विभाजन के वादपत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए संबधित तहसीलदार को मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर भौतिक रूप से बंटवाडा कर भू–अभिलेख में अलग अलग खाता कायम किए जाने का निर्देश प्रदान करते हुए वादपत्र अन्तिम रूप से निर्णित कर दिया गया जो कि वादपत्रो के सम्यक निर्णयो के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 यथाविहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानो के सर्वथा विचलन व गैर अनुपालन में पारित की गयी है। जो विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

4. वादपत्रो के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों का निस्तारण प्रतिवादी पक्षकारान को जवाब दावा का अवसर देते हुए, विवाद्यक आदि विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री किया जायेगा, लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के अनुपालन का सर्वथा अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने व विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विन्रम मत है कि अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 77/2010 बअनवान मोहनलाल बनाम करणाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14, 15, 16, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली